

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6/1

अधिकारी-

अमानुल्लाह खान,  
आर.ए.एस.

निसल संख्या  
2/निगरानी/21

तारीख दायरा  
15.03.2021

तारीख फैसला  
11.10.2021

नरेन्द्र सिंह आ० समदर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोकडा  
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

-निगराकार

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टोकडा पं.स. हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत टोकडा, पं.स. हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. पुष्प कंवर पत्नी स्व. अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

-गैरनिगराकार

उपस्थित-

निगराकार की ओर से - श्री लीलाधर सिंह एड०  
गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से - श्री गिरिराज गोचर एड०  
गैरनिगराकार संख्या 3 की ओर से - श्री कौशल किशोर शर्मा एड०

निर्णय

यह निगरानी निगराकार द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत टोकडा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगराकार को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। श्रीमती पुष्प कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2021 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. दिनांक 04.10.2021 को स्वीकार कर पक्षकार गैरनिगराकार संख्या 3 बनाया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक निगराकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि निगराकार ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली में वर्षों से निवास करता चला आ रहा हैं। निगराकार के दादा तेज सिंह का एक पुश्तैनी मकान ग्राम टोकडा में विस्थित हैं। तेज सिंह जी के दो पुत्र अमर सिंह व समदर सिंह हुये, दोनों का देहान्त हो चुका हैं। तेज सिंह जी ने अपने जीवन काल में ही उक्त मकान व जाग का दोनों पुत्रों के मध्य बंटवारा कर दिया था जिसमें उनके वारिसान अपने-अपने हिस्से में निवास करते चले आ रहे हैं। निगराकार के दादाजी स्व. तेज सिंह आ. कल्याण सिंह ने उनके जीवनकाल में उक्त मकान व जाग का पट्टा सन् 1970 में जारी करवा लिया था लेकिन उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को नहीं

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

के पिता समदर सिंह का भी देहान्त हो चुका है। पिता के देहान्त के बाद पेट टोकडा में पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.09.2017 पट्टा संख्या 8144 उसके हिस्से का जारी किया गया है जिसका पंजीयन दिनांक 11.2017 को करवाया गया है। पट्टे के संबंध में निगराकार के बड़े पिता अमर सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने आपत्ति करते हुये दादाजी तेज सिंह के नाम का पट्टा बताया। प्रथम बार निगराकार को तेज सिंह के नाम जारी पट्टे की जानकारी हुई। तत्पश्चात निगराकार स्वयं अपने नाम से जारी पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 को निरस्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत टोकडा से निवेदन किया ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी द्वारा कहा गया कि पट्टे को न्यायालय में निरस्त करवाओ। निगराकार को जारी पट्टे एवं इसी मकान व जाग का पट्टा पूर्व में दादा तेज सिंह के नाम से जारी होने से परिवार में विवाद उत्पन्न हो गया है। निगराकार स्वयं के नाम से जारी पट्टे को निरस्त करवाना चाहता है। गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय में करने को कहा। इस प्रकार माननीय न्यायालय से उक्त आक्षेप का समाधान करने हेतु अपने नाम जारी पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 को सदभावनापूर्वक निरस्त करवाने का अधिकारी है। निगराकार ने उक्त विचाराधीन पट्टे की पत्रावली की नकल निगरानी प्रस्तुत करने से 3 दिन पूर्व प्राप्त की है। इस प्रकार जानकारी होने से एवं नकल प्राप्ति से उक्त निगरानी अवधि मध्य प्रस्तुत है। निगरानी प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है। अतः निगरानी स्वीकार कर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 व 2 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि निगराकार पारिवारिक विवाद से बचने के लिए स्वयं उसके नाम से जारी पट्टे को निरस्त करवाना चाहता है। इसमें गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

वकील गैरनिगराकार संख्या 3 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि निगराकार ने मिलीभगत करके अवैधानिक रूप से अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया है जिसका अनुसंधान थाना हिण्डोली में चल रहा है। निगराकार ने जो पट्टा जारी करवाया है उसमें गैरनिगराकार संख्या 3 का 1/2 हिस्सा निहित है। अतः निगराकार को जारी किया पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। इस संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं इसके संलग्न शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को हम संतोषजनक व परिस्थितिजन्य तथ्य होना स्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के संबंध में गैरनिगराकार द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गई है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। जहां प्रकरण में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां निगरानी का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि निगराकार को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 को जारी किया गया है, जिसका भू माप  $43 \times 50 = 2150$  वर्गफिट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 01.04.2017 को आवेदन किया गया। सरपंच द्वारा स्थल निरीक्षण (मौका रिपोर्ट) हेतु 3

A 6/5

कमेटी गठित कर पंचायत कोरम में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आज्ञा गई। तत्पश्चात गठित कमेटी ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.04.2017 को की। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय/पुराने मकानों के वित्तिकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है जिसमें जारी होने की तारीख दिनांक 24.04.2017 अंकित है। दिनांक 12.09.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को पट्टा संख्या 8144 जारी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार स्वयं उसके नाम से जारी पट्टे को पारिवारिक विवाद होने से निरस्त करवाना चाहता है जिसमें गैरनिगराकार संख्या 1 लगायत 3 को भी कोई आपत्ति नहीं है। गैरनिगराकार संख्या 3 ने पट्टे के संबंध में अनुसंधान थाना हिण्डोली में जैरकार होना अवगत करवाया गया है परन्तु पट्टे के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश हो के संबंध में हस्तगत प्रकरण में किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टोकडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 8144 दिनांक 12.09.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे। पत्रावली फ़ैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर  
(अमानुस्लाह खान)  
अति० जिला कलक्टर,  
बूंदी